न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 05/2022

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
बलदेवराम पुत्र नारायणराम जाति गरूड़ा निवासी उचियार्डा बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. पप्पूराम पुत्र नारायणराम जाति गरूड़ा निवासी उचियार्डा बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 2. कालूराम पुत्र नारायणराम जाति गरूड़ा निवासी उचियार्डा बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थितिः- वादी – श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या-1 से 2 – श्री भागीरथ सिंह सोढा एडवोकेट,
प्रतिवादी संख्या-3 सरकारी पैरोकार

दिनांकः- 27/01/25

निर्णय

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाड़ा चक-1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2794 रकबा 0.1861 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2823 रकबा 0.1456 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2831 रकबा 0.5420 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3065 रकबा 2.6697 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3066 रकबा 1.9254 हैक्टेयर कुल खसरा 5 कुल रकबा 5.4688 हैक्टेयर आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/3 वाँ हिस्सा वादी का तथा 1/3 वाँ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का तथा, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 2 द्वारा वादी के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है इस कारण वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 2 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 2 इसके लिए तैयार नही हुए तो वादी अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड़ रहा है। वादी भूमि खसरा नम्बर 3065 रकबा 2.6697 हैक्टेयर में खुदी हुयी ट्यूबवैल मय विद्युतीकृत का प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के साथ रेकर्डेड सह खातेदार है, जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या-1 का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या-2 का है। वादी को अपने हिस्से अनुसार ट्यूबवैल मे से पानी लेने एवं विद्युत उपभोग करने तथा ट्यूबवैल पर लगे सिंचाई उपकरण आदि का उपयोग व उपभोग करने का पुरा हक व अधिकार है। जिसमें प्रतिवादी संख्या-1 व 2 को किसी प्रकार की दखल या बाधा उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है। इस कारण वादी प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 वादी को उसके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अड़चने पैदा कर रहे है, इस कारण वादी को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में वादी के कब्जे काष्त में किसी भी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रकार की दखल पैदा नही करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 2 को पाबन्द करने के लिए स्थाई निशेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड रहा है।

अन्त में दावा पेश कर वादी ने निवेदन किया कि ग्राम बिलाड़ा चक संख्या-1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2794 रकबा 0.1861 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2823 रकबा 0.1456 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2831 रकबा 0.5420 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3065 रकबा 2.6697 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3066 रकबा 1.9254 हैक्टेयर कुल खसरा 5 कुल रकबा 5.4688 हैक्टेयर का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर वादी के 1/3 वॉ हिस्सा की भूमि अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे। तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादी के बंट एवं हिस्से की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न अन्य किसी से करावे तथा ग्राम बिलाड़ा चक संख्या-1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 3065 रकबा 2.6697 हैक्टैयर में स्थित ट्यूबवैल मय विद्युतीकृत का उपयोग व उपभोग करने के लिए रास्ता रखा जाने का आदेश फरमावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादी के हक व हिस्से की खसरा नम्बर 3065 की भूमि ट्यूबवैल मय विद्युतीकृत, सिंचाई उपकरण के उपयोग व उपभोग किसी प्रकार की दखलन्दाजी एवं अन्य प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न नही करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 10.01.2023 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम बिलाडा चक 1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2794 रकबा 0.1861 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2823 रकबा 0.1456 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2831 रकबा 0.5420 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3065 रकबा 2.6697 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3066 रकबा 1.9254 हैक्टेयर कुल खसरा 5 कुल रकबा 5.4688 हैक्टेयर का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर वादी के 1/3 वॉ हिस्सा का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिटस एंण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेष प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	बलदेवराम पि. नारायणराम जाति गरुडा सा.देह खातेदार	2823 2794 2831 3065 3065 3066 3066	0.0485 0.0620 0.1806 0.5872 0.2912 0.4005 0.2182
	कुल खसरा	7	1.7882 हैक्ट
2	पप्पूराम पि. नारायणराम 1/2 कालूराम पि.नारायणराम 1/2 जाति गरुडा सा.देह खातेदार	2823 2794 2831 3065 3065 3066 3066	0.0971 0.1241 0.3614 0.8358 0.3871 0.5339 1.2374

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

	कुल खसरा	7	3.5768 हैक्ट
3	शामलाती जमाबंदी अनुसार खातेदार	3065 3066 3066	0.0345 0.0566 0.0127
	कुल खसरा	3	0.1038 हेक्ट

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर आपति प्रार्थना पत्र पेश किया गया था किन्तु बाद में प्रतिवादीगण द्वारा नोट प्रेस कर लिया गया। जिसकी पुष्टि आदेशिका में हस्ताक्षर से की गई। अतः बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर अब किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 17.05.2024 के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 17.05.2024 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27/01/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी
बलदेवराम

बनाम

प्रतिवादीगण
पप्पूराम वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 5/2022 **दिनांक :-** 27/11/25

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई तथा प्रतिवादी संख्या-1 से 2 की ओर से श्री भागीरथ सिह सोढा एडवोकेट, तथा प्रतिवादी संख्या-3 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 17.05.2024 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक-की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27/11/25 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिष्नर			फीस कमिष्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा